एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि.

CIN: U65999MH2002PLC134884 वेबसाइट: www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400028. दूरभाष: +91 2266581300

सांकेतिक कब्ज़ा सूचना

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ("उक्त अधिनियम") के तहत न्यासी (ट्रस्टी) की हैसियत से कार्य करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(12) एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("उक्त नियम") के नियम 3 के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) को मांग सूचना(एं) जारी की थी, ताकि सूचना प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि चुकाई जा सके। उधारकर्ता/गारंटर(गणों)/बंधककर्ता(ओं) द्वारा उक्त राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) एवं उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति का कब्ज़ा "जैसी है जहां है और जो कुछ भी है उस आधार पर" नीचे उल्लिखित तिथि को लिए जाने की सूचना उधारकर्ता/गारंटर(गणों)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्य रूप से इसके द्वारा दी जाती है।

1: ऋण क्रमांक- 0185SBML02052: **मूल ऋणदाता -** विस्तार: **मांग सूचना की तिथि-** 13/04/2026: **ट्रस्ट का नाम-** आर्सिल - ट्रस्ट - 2026 - 024: **ऋणी का नाम -** नेत्रपाल बदन: **सह-ऋणी का नाम -** लज्जावती भजन: **कुल बकाया-** ₹ 4,51,377.63/- को 30/01/2026: **संपत्ति का विवरण-** श्री नेत्रपाल पुत्र श्री बदन सिंह के स्वामित्व वाली भूमि व आवासीय मकान का संपूर्ण भाग, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, अर्थात 41.805 वर्ग मीटर, कुल क्षेत्रफल 20.13 वर्ग मीटर, अडींग, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, राज्य उत्तर प्रदेश-281502 में स्थित, पंजीकरण जिला मथुरा, उप-पंजीयक कार्यालय मथुरा के अंतर्गत पंजीकृत. और निम्नानुसार सीमाबद्धः **उत्तर :** तारा चंद का भूखंड **दक्षिण :** ब्रज लाल का मकान **पूर्वः** पोखर **पश्चिम :** अडींग से शीशराम मार्ग जाने वाला 16 फीट चौड़ा रास्ता: **कब्ज़े की तिथि-** 07-09-2026

2: ऋण क्रमांक- 0189SBML02590: **मूल ऋणदाता -** विस्तार: **मांग सूचना की तिथि-** 13/04/2026: **ट्रस्ट का नाम-** आर्सिल - ट्रस्ट - 2026 - 024: **ऋणी का नाम -** मो कादिर: **सह-ऋणी का नाम -** नाज़िया शकील, शानू सलाउद्दीन: **कुल बकाया-** ₹ 7,47,535.98/- को 30/01/2026: **संपत्ति का विवरण-** मुल्लापुरा भुजपुरा (अंदर आबादी), तहसील कोइल, जिला अलीगढ़ में स्थित भूखंड का संपूर्ण भाग, प्लॉट संख्या 229, 140, व 132, क्षेत्रफल 30 वर्ग गज अर्थात 25.083 वर्ग मीटर, श्री सलाउद्दीन के पुत्र मोहम्मद कादिर के कब्जे में, बही संख्या 01, जिल्द संख्या 13325, पृष्ठ संख्या 53/70, क्रमांक 7072, दिनांक 22/06/2023 को उप-पंजीयक कार्यालय द्वितीय अलीगढ़ में पंजीकृत. और निम्नानुसार सीमाबद्धः **उत्तर :** श्रीमती सायमा का भूखंड **दक्षिण :** पप्पू का मकान **पूर्वः** 15 फीट चौड़ा रास्ता **पश्चिम :** बिलकिस का भूखंड: **कब्ज़े की तिथि-** 07-09-2026

लागू ब्याज सहित, भुगतान की तिथि तक हुए आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित।

चूंकि उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं ने देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्य रूप से यह सूचना दी जाती है कि एआरसीआईएल के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर उल्लिखित तिथियों पर ऊपर वर्णित संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों का कब्ज़ा ले लिया है।

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि वे उपर्युक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों से कोई लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के, उपरोक्त राशि पर ब्याज व व्यय सहित, भार के अधीन होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

तिथि: 12-09-2026
स्थान: लखनऊ

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड की ओर से
हस्ता./- अधिकृत अधिकारी (न्यासी की हैसियत से)

उत्तर प्रदेश 12x14

फार्म न. आईएनसी - 26

कम्पनी (निगम) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में] कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। यह विज्ञापन उत्तरी क्षेत्र की केंद्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

तथा

परफेक्ट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के मामले

जिसका पंजीकृत कार्यालय, चौथी मंजिल, प्रिम्स पैलेरिनम, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017 में है, के मामले में

.... **याचिकाकर्ता**

एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को राज्य -एन.सी.टी दिल्ली से महाराष्ट्र राज्य में बदलने के सक्षम बनाने के लिए सोमवार, 07-09-2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम आफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति के हित प्रभावित होने की संभावना हो तो, एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस **सूचना प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर** अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए, एक शपथ पत्र द्वारा अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा, समर्थित अपनी आपत्ति **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003** में जमा करें या पंजीकृत डाक से भेजें और इसकी एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजें। पंजीकृत कार्यालयः **चौथी मंजिल, प्रिम्स पैलेरिनम, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017**

बोर्ड के आदेशानुसार
परफेक्ट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड

तिथि:10/09/2026
स्थानः नई दिल्ली

हस्त./-
संदिप गुप्ता (निदेशक)

फार्म नं. आइएनसी-26

[कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के अनुवर्ती]
केन्द्रीय सरकार के समक्ष,
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कंपनीज़ (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30(5)(ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के विषय में।

तथा

आमलिन वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-13बी, प्रथम मंजिल, कालकाजी, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110019 (दिल्ली) में स्थित है। ....आवेदक

सामान्य जनता को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **"दिल्ली राज्य"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक **25.08.2026** को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) को आवेदन करना प्रस्तावित है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के अन्दर **केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली**-110003 (दिल्ली) को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक या कारणों को भेजें या **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए-21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति याचिकाकर्ता कंपनी के नीचे वर्णित पंजीकृत पते पर भेजनी है।

पंजीकृत कार्यालय बी-13बी, प्रथम मंजिल, कालकाजी, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली-110019 (दिल्ली)

हिते एवं कृते आवेदक
आमलिन वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U61200DL2011FTC222068

स्थानः नई दिल्ली — सुशील गुप्ता, निदेशक
दिनांकः 12.09.2026 — डीआईएनः 00546912

ऋण वसूली अधिकरण - II,
दिल्ली के समक्ष चौथी मंज़िल, जीवन तारा बिल्डिंगपार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली -110001.

बैंक और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के तहत, ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियम), 1993 के नियम 12 और 13 के साथ पठित नोटिस, निम्नलिखित मामले में

OA संख्या 1062/2025 दिनांक: 09.09.2026

ड्यूश बैंक AG ...आवेदक
बनाम
M/S Jai Bhawani Enterprises
...प्रतिवादी

D1. M/S जय भवानी एंटरप्राइजेज इसके एकमात्र मालिक श्री दीपक कुमार के माध्यम से प्लॉट नंबर 2, न्यू प्रेम नगर, गाजियाबाद, UP 201001 साथ ही RO B-47, पटेल नगर-2, गाजियाबाद, UP 201001 पर भी

चूंकि ऊपर बताए गए आवेदक ने आपके खिलाफ **₹30,30,935.07 (तीस लाख तीस हज़ार नौ सौ पैंतीस रुपये और सात पैसे)** की वसूली के लिए मामला दायर किया है, और चूंकि न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) को यह संतुष्टि हो गई है कि आपको सामान्य तरीके से नोटिस नहीं भेजा जा सकता है, इसलिए यह नोटिस विज्ञापन के माध्यम से दिया जा रहा है। आपको निर्देश दिया जाता है कि आप **18.01.2027** को **सुबह 11:00** बजे न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान दें कि यदि आप बताए गए दिन उपस्थित नहीं होते हैं, तो मामले की सुनवाई और फैसला आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या आमने-सामने (फिजिकल) होगी और इसके लिए:
(1) सभी वकीलों/मुकदमेबाज़ों को 'Cisco Webex' एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा;
(2) माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार द्वारा सुने जाने वाले मामलों की सुनवाई की तारीख के लिए 'मीटिंग ID' और पासवर्ड DRT के आधिकारिक पोर्टल यानी drt.gov.in पर रोज़ाना की कॉज़ लिस्ट में दिखाए जाएंगे।
(3) किसी भी आपात स्थिति में वकील/मुकदमेबाज़ संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 23748478 पर संपर्क कर सकते हैं। यह आदेश ट्रिब्यूनल की मुहर और मेरे हस्ताक्षर के साथ **09 सितंबर, 2026** को जारी किया गया।

ट्रिब्यूनल के आदेश से,
प्रशासनिक अधिकारी, DRT-II, दिल्ली

बैंक ऑफ़ बड़ौदा / Bank of Baroda

तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन वर्टिकल,
बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,
सी-26, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई झ 400051; ई-मेलः **wfd.bcc@bankofbaroda.co.in**

बीओबी :एसएएमवी:118:1511 से 1516 — **दिनांकः 03-09-2026**

कारण बताओ सूचना (एससीएन)

मैसर्स आई-लाइफस्टाइल एंड टेक्सटाइल्स प्रा. लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं. 321, 1ली मंजिल, पीण्या इंडस्ट्रियल एरिया, 8वीं क्रॉस, 4था फेज, बेंगलुरु - 560058, कर्नाटक
कारखाना / गोदामः एफ-205, कीर्ति हार्मनी, अपार्टमेंट, राघवेंद्र सर्कल, राममूर्ति नगर, बेंगलुरु - 560016, कर्नाटक
श्री तरुण जैन एवं श्रीमती शिवानी जैन, ए 2/8 राणा प्रताप बाग, क्क्री मंजिल, नई दिल्ली, पिन-110007, एफ-13/3, यूजीएफ मॉडल टाउन क्क् नई दिल्ली, पिन - 110009

प्रिय महोदय,

हमारे बैंक की विलफुल डिफॉल्टर्स पहचान समिति ने निम्नलिखित आधारों पर आपको विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने हेतु कारण बताओ सूचना (एससीएन) जारी करने का निर्देश दिया हैः

1. उधारकर्ता के पास बैंक की देनदारियों को चुकाने की क्षमता है, फिर भी वह उनका भुगतान नहीं कर रहा है।
2. असंबंधित व्यावसायिक संस्थाओं को रु. 3.15 करोड़ और रु. 4.26 करोड़ का प्रेषण किया गया।
3. मैसर्स एल्केन लाइफस्टाइल लिमिटेड को रु. 0.45 करोड़ का प्रेषण किया गया, जिसमें श्री तरुण जैन भी निदेशक हैं।
4. बैंक को सूचित किए बिना संपत्तियों का निपटान किया गया और उससे प्राप्त आय को बैंक खाते के माध्यम से नहीं भेजा गया।
5. स्वीकृत नियमों और शर्तों की सहमति के अनुसार प्रवर्तक द्वारा इक्विटी का कोई समावेशन नहीं किया गया।

आपकी ओर से कमी और चूक काये कृत्य आरबीआई के विलफुल डिफॉल्टर्स संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 3 (1) (**xviii**) (ए) (ए), (बी), (सी), (डी) एवं (ई) - क्षमता, धन का विचलन, धन की हेराफेरी, संपत्तियों का निपटान, इक्विटी का निवेश न करना - के दायरे में आते हैं।

उपरोक्त पतों पर दिनांक 04-09-2026 को भेजा गया एससीएन बिना वितरित हुए वापस लौट आया था, इसलिए इसे समाचार पत्र में प्रकाशित किया जा रहा है।

अतः आपसे पहचान समिति के विचारार्थ इस सूचना में दिए गए पते पर -21- दिनों के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन जमा करने का आह्वान किया जाता है कि आपको विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत क्यों न किया जाए। -21- दिनों के भीतर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में, पहचान समिति आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी।

हस्ता./- (महाप्रबंधक)

परिशिष्ट IV-A
अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सिक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोरमिन्ट) रूल्स, 2002 के नियम 8(6) और नियम 9(1) के नियमों को पढ़ते हुए सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रशन ऑफ फायनांशियल एसेट्स एंड एन्फोरमिन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन अचल संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) तथा गेरेन्टर (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी है, जिस पर सुरक्षित लेनदार अधिकृत अधिकारी **सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) [CIN : L65922DL2005PLC136029] (''सुरक्षित लेनदार द्वारा'')** द्वारा **वास्तविक कब्जा** लिया जा चुका है, **30.09.2026** को **शाम 05.00 बजे से 06.00 बजे** तक **''जहां है'', ''जैसा है'' और ''जो कुछ भी है''**, की वसूली के लिए **ऋण खाता नं. HHLDMT00461049** के लिए **रु. 17,36,926/- (रुपए सत्रह लाख छत्तीस हजार नौ सौ छब्बीस मात्र)** के लिए **08.09.2026** तक बकाया मूलधन, बकाया (विलंब शुल्क के समेत) और ब्याज ऋण समझौते तथा अन्य सम्बन्धित ऋण दस्तावेजों के संदर्भ में लागू भावी ब्याज तथा कानूनी व्यय और अन्य खर्चों के साथ **09.09.2026** से प्रभावी जो **जियाउद्दीन उर्फ मोहम्मद जियाउद्दीन, आलिया परवीन, मेसर्स जियाउद्दीन और वसीम अहमद फोम हाउस और वसीम उर्फ वसीम अहमद** पर सुरक्षित लेनदार द्वारा बकाया है की वसूली के लिए बेचा जाएगा।

अचल संपत्ति की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य **रु. 8,20,000/- (रुपए आठ लाख बीस हजार मात्र)** होगा और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (**''ईएमडी''**) **रु. 82,000/- (रुपए बयासी हजार मात्र)** यानि आरक्षित मूल्य के 10% के बराबर होगा।

अचल संपत्ति का वर्णन

फ्लैट नंबर- यू. जी. एफ.-6, एल. आई. जी., ऊपरी तल मंजिल, पीछे की ओर, मध्य भाग, क्षेत्रफल 325 वर्ग फीट या 30.19 वर्ग मीटर, डीएलएफ अंकुर विहार, प्लॉट नंबर-डी-8/29, गांव लोनी, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद-201102, उत्तर प्रदेश। फ्लैट की सीमाएं :
पूर्व : फ्लैट नंबर यू. जी. एफ. - 5 (एल. आई. जी.) उत्तर : सार्वजनिक पैसेज और सीढ़ियां
पश्चिम : फ्लैट नंबर यू. जी .एफ.-7 (एल. आई. जी.) दक्षिण : दूसरे की जमीन

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.sammaancapital.com देखें; संपर्क का नंबर : 0124-6910910, +91 7065451024; ई-मेल आईडी : auctionhelpline@sammaancapital.com। बोली लगाने के लिए www.auctionfocus.in पर लॉग ऑन करें

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

दिनांक : 08.09.2026
स्थान : गाज़ियाबाद

KARVY FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः मेसर्स. कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यूनिट नंबर 6 और 7, अंधेरी इंडस्ट्रियल एस्टेट, वीरा देसाई रोड के पास, एवीवी कंपनी लिमिटेड के पास, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400053
ईमेलः - anil.dubey@karvyfinance.com; संपर्क सं. 9891872258

निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत नीलामी के माध्यम से बिक्री सूचना सह उधारकर्ताओं/गारंटरों को बिक्री की सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की निजी समझौते के माध्यम से बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) की सुरक्षित आस्तियों का कब्जा लिए जाने के अनुसरण में, आम जनता और सभी संबंधित व्यक्तियों, जिनमें संबंधित उधारकर्ता/बंधककर्ता, उनके विधिक उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध संपत्तियों की खरीद के लिए कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

जबकि कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत निजी समझौते के माध्यम से नीचे वर्णित संपत्ति को "जैसी है जहां है के आधार पर" और "जैसी है जो है के आधार पर" तथा "जो कुछ भी है के आधार पर" बेचने का निर्णय लिया है।

कर्जदार का नाम	नीलामी की तिथि	मांग सूचना तिथि और राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (आर पी)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%) और तिथि	कुल ऋण बकाया
ऋण कोड नंबर 421552, 534667 और 420825 कर्जदार और सह-कर्जदार 1. गजेंद्र कुमार 2. इंदिरा यादव	01.10.2026	14.03.2020 और रु. **5163593/-**	भूमि एवं भवन का वह समस्त भाग एवं अंश का आंशिक कब्जा जोकि क्वार्टर नंबर 5WH/01, दूसरी मंजिल, विडो होम नंबर 5, एनआईटी फरीदाबाद, जिसका कुल क्षेत्रफल 62 वर्ग गज और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः 5WH/02, दक्षिणः F.S.W. ASS का ऑफिस, पूर्वः सड़क पश्चिमः पार्क	रु. **17,14,500/- (रु. सत्रह लाख चौदह हजार पाँच सौ मात्र)**	रु. **1,71,450/- (रु. एक लाख इकहत्तर हजार चार सौ पचास मात्र) और 30.09.2026 तक**	रु. 1,43,93,667/- **(रु. एक करोड़ तैतालीस लाख तिरान्वे हजार छह सौ सडसठ मात्र) दिनांक 09.09.2026 तक**

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तेः

1. इच्छुक बोलीदाताओं को निजी समझौते के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए तथा व्यक्तिगत रूप से भाग लेना चाहिए और इस आशय की लिखित घोषणा देनी चाहिए कि वह स्वयं के लिए बोली लगा रहा/रही है।
2. इच्छुक बोलीदाता निविदा प्रपत्र मैसर्स कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 1/15, तीसरी मंजिल, कार्यालय संख्या 3, पंजाब नेशनल बैंक के पास, तिलक नगर, नई दिल्ली 110018 से प्राप्त कर सकते हैं।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियां केवल निर्धारित निविदा प्रपत्र में, सीलबंद लिफाफों में, अधिकृत अधिकारी, मैसर्स कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम संबोधित करके, आरक्षित मूल्य के 10% की बयाना राशि के लिए 'कार्वी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड' के पक्ष में आहरित पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के साथ, एतद्वारा अधिसूचित निजी समझौता बिक्री के 8च ज तक या उससे पहले प्रस्तुत करनी होंगी। डिमांड ड्राफ्ट असफल बोलीदाताओं को वापस कर दिया जाएगा।
4. दस्तावेजों के सत्यापन के लिए, इच्छुक क्रेता मैसर्स कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 1/15, तीसरी मंजिल, कार्यालय संख्या 3, पंजाब नेशनल बैंक के पास, तिलक नगर, नई दिल्ली 110018 पर जा सकता है।
5. संपत्ति/संपत्तियां निजी समझौते के माध्यम से "जैसी है जहां है" और "जैसी है जो है" तथा "जो कुछ भी है उसी आधार पर" बेची जाती हैं।
6. सीलबंद निविदाएं इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में एतद्वारा अधिसूचित निजी समझौता बिक्री के 3 बजे तक खोली जाएंगी। यद्यपि सामान्यतः वही बंद निविदाओं के माध्यम से होगी, अधिकृत अधिकारी अपने एकमात्र विवेकाधिकार पर उन इच्छुक बोलीदाताओं के बीच निजी समझौता कर सकता है जो बंद निविदा प्रक्रिया में प्राप्त बोली से अधिक बोली उद्धृत करना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में बिक्री उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के पक्ष में की जाएगी। तथापि, बिक्री मैसर्स कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की पुष्टि के अधीन होगी।
7. सफल बोलीदाता को बिक्री की राशि का पच्चीस प्रतिशत (25%) (भुगतान की गई बयाना राशि सहित) बिक्री पूर्ण होने पर उसी दिन तुरंत या अगले कार्य दिवस से अधिक विलंब किए बिना जमा करना होगा और शेष पचहत्तर प्रतिशत (75%) राशि बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी, ऐसा न करने पर प्रारंभिक 25% जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। किसी भी स्थिति में इसे वापस नहीं किया जाएगा। संपत्ति को तत्काल पुनः प्रस्तुत किया जाएगा और बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के पश्चात पुनः बेचा जाएगा।
8. बिक्री प्रमाणपत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा सफल क्रेता के पक्ष में तभी जारी किया जाएगा जब यहाँ निर्धारित समय-सीमा के भीतर संपूर्ण बिक्री प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा।
9. सफल क्रेता हस्तांतरण के लिए देय प्रभार/शुल्क, जैसे लागू कानून के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि, वहन करेगा।
10. सफल बोलीदाता वैधानिक देय राशियाँ (कानूनी गृह कर, विद्युत शुल्क और अन्य देय राशियां), टीडीएस, जीएसटी यदि कोई हो, जो सरकार, सरकारी उपक्रम और स्थानीय निकायों को देय हैं, का भुगतान करेगा।

अधिकृत अधिकारी को किसी भी निविदा या बोली अथवा सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने तथा बिना कोई कारण बताए निजी समझौते को स्थगितआगे की तारीख तक स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा और बिना कोई कारण बताए बिक्री के किसी भी नियम और शर्त को संशोधित करने का भी अधिकार होगा तथा बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री के किसी भी नियम और शर्त को संशोधित करने का भी अधिकार होगा।

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी
कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 11.09.2026

ICICI Bank

एनबीसीसी, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110003
पंजी. कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर, निकट चकली सर्किल, ओल्ड पाद्रा रोड, वडोदरा-390 007
कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू), मुंबई-400 051

सार्वजनिक सूचना - प्रतिभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा-सह-नीलामी

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफासी ऐक्ट") के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्ति की बिक्री

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ("आईसीआईसीआईसीआई बैंक") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफासी ऐक्ट") के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ धारा 13 की उप-धारा (12) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक सांविधिक मांग सूचना 21 अप्रैल, 2026 को जारी की थी, जिसमें इवर्ज स्मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("कर्जदार/प्रतिभूति प्रदाता / सह-आवेदक"), सुश्री मीनू सप्रा ("कर्जदार/गारंटर/प्रतिभूति प्रदाता") तथा श्री सुमित पाल सिंह ("गारंटर/सह-आवेदक") (कर्जदार, प्रतिभूति प्रदाता, सह-आवेदक तथा गारंटर एतद्द्वारा सामूहिक रूप से "आबंधक" कहे गए हैं) से सूचना में वर्णितानुसार 18 अप्रैल, 2026 तक बकाया राशि **रुपये 8,59,04,170.39 (रुपये आठ करोड़ उनसठ लाख चार हजार एक सौ सत्तर और पैसे उन्तालीस मात्र)** उसके भुगतान/वसूली की तिथि तक आगे संविदात्मक दर पर ब्याज, चूक ब्याज, प्रीमिया, लागत, प्रभार इत्यादि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनोंके भीतर चुकाने की मांग की गई थी। जो आज तक चुकाई नहीं गई है।

सर्वसाधारण और विशेष रूप से आबंधकों को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्ति, जो आईसीआईसीआई बैंक के पास बंधक और प्रभारित है, और जिसका सांकेतिक कब्जा आईसीआईसीआइ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने ले लिया है, उसे 02 सितम्बर, 2026 तक बकाया राशि **रुपये 8,85,96,407.39 (रुपये आठ करोड़ पिचासी लाख छियानवे हजार चार सौ सात और पैसे उन्तालीस मात्र)** + भुगतान की तिथि तक संविदा दर पर संविदा दर आधार पर और उस पर ब्याज के साथ भावी ब्याज, चूक/दंड ब्याज और अन्य प्रभारों की वसूली के लिए नीचे दिए विवरण के अनुसार **"जैसा है जहाँ है"** के आधार पर, **"जैसा है वैसा है", "जो भी है"** के आधार पर और **"बिना किसी रिकोर्स के"** बेचा जाएगा।

प्रतिभूत आस्ति का वर्णन	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि जमा ("ईएमडी") (रु. में)	ई-नीलामी की तिथि और समय	बैंक को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : डीएलएफ कुतब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स के नाम से ज्ञात आवासीय कालोनी (अब डीएलफ सिटी), फेज-II, ग्राम सरहौल, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 में रोड जे-1 पर सुश्री मीनू सप्रा के नाम आवासीय बिल्डिंग नंबर 30 में सम्पूर्ण तृतीय तल, छत/टेरेस के अधिकार नहीं, सभी सुविधाओं सहित जो इस आवासीय बिल्डिंग का अंश एवं खंड हैं। चौहद्दी : पूरब मेंः प्लॉट नंबर जे-1/31, पश्चिम मेंः प्लॉट नंबर जे-1/29, उत्तर मेंः 71, आकाशनीम मार्ग, दक्षिण मेंः रोड	रु. 7,00,00,000.00/-	रु. 70,00,000.00/-	14 अक्टूबर, 2026 (पूर्वा. 11:00 बजे से मध्या. 12:00 बजे तक)	ज्ञात नहीं
	बोली वृद्धि मूल्य (रु. में)	**सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि और समय**	**ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि**	**प्राधिकृत अधिकारी**
	रु. 1,00,000.00/-	25 सितंबर, 2026 (पूर्वा. 10:00 बजे से अप. 01:00 बजे तक) पहले से सूचना देकर	13 अक्टूबर, 2026 (अप. 4.00 बजे तक)	श्री बनजीत महंता (एम : + 91-8527193670)

नियम और शर्तें :

(1) ऑनलाइन नीलामी मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से ऑक्शन एजेन्सी की वेबसाइट नामतः **https://icicibank.auctiontiger.net** पर होगी तथा यह नीलामी **https://icicibank.auctiontiger.net** पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज में दिए गए नियम एवं शर्तों के तहत की जाएगी।
(2) निरीक्षण, नीलामी के निबंधन और शर्तों या निविदा जमा करने के संबंध में आगे और किसी स्पष्टीकरण के लिए कृपया आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी श्री बनजीत महंत तथा/अथवा कनिका गुपता से +91-8527193670, +91-9560905663, पर सम्पर्क करें अथवा **banjit.mahanta@icici.bank.in** अथवा **kanika.gupta1@icici.bank.in** अथवा **anshu.j@icici.bank.in** पर लिखें।
(3) बिक्री सूचना के अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के समाचारपत्र में प्रकाशन के बीच किसी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी समाचारपत्र स्थानीय भाषा समाचारपत्र पर आविर्भावी होगा तथा यह अंतिम प्रति मानी जाएगी और इस प्रकार अस्पष्टता दूर की जाएगी।
(4) सभी कानूनी बकाया, लम्बित शुल्क या पंजीकरण शुल्क समेत कोई भी अन्य बकाया राशि खरीदार को अदा करनी होगी और प्राधिकृत अधिकारी प्रतिभूत आस्ति के संबंध में किसी भी पार्टी को किसी भी शुल्क, ऋणभार में ग्रहणाधिकार या किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ऋणभार और किसी भी लम्बित बकाया राशि इत्यादि के बारे में स्वयं पूछताछ करें।

दिनांक : 12 सितंबर, 2026
स्थान : गुरुग्राम

हस्ता./- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

---

adani Power

अदाणी पावर लिमिटेड (एपीएल)
रजिस्टर्ड ऑफिसः ''अदाणी कॉर्पोरेट हाउस'', शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्कल के पास, एस. जी. हायवे, खोडियार, अहमदाबाद 382421, गुजरात, भारत.

'विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा जारी दिशानिर्देश सं. 9/8/2024-एसटी.टीएच. दिनांक 30 जनवरी 2026 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऐश (राख) के विक्रय हेतु सीमित नीलामी की सूचना

अदाणी पावर लिमिटेड अपनी सहायक कंपनियों सहित नीचे बताए गए अपने तापीय विद्युत संयंत्रों से निर्गत होने वाली 'ऐश' (राख) हेतु उन पात्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) तथा स्थानीय एमएसई/स्थानीय उपयोगकर्ताओं से अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए जाते हैं, जो ऐश-आधारित उत्पादों के निर्माण में संलग्न हैं एवं जिनके पास सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा जारी वैध 'संचालन की सहमति' (सीटीओ) अथवा वैध एमएसई/उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र तथा 'स्थानीय उपयोगकर्ता' (ईओआई) सहित की मान्यता हो।

1. कोरबा पावर लिमिटेड फेस-II, छत्तीसगढ (2 X 660 मेगावॅट)
2. महान एनर्जन लिमिटेड फेस-II, मध्य प्रदेश (2 X 800 मेगावॅट)
3. अदाणी पावर लिमिटेड - चुर्क, उत्तर प्रदेश (3 X 60 मेगावॅट)

इच्छुक पक्षों से अनुरोध है कि वे अपनी वार्षिक आवश्यकता (मीट्रिक टन) में, फर्म/कंपनी के संपूर्ण विवरण सहित, नीचे दिए गए ईमेल पते पर दिनांक 19.09.2026, 18:00 बजे तक अवश्य प्रेषित करें।

ईमेल आईडीः **ajeet.singh@auctionit.in**

विस्तृत नियम एवं शर्तें हमारी नीलामकर्ता वेबसाइट **www.auctionit.in** पर उपलब्ध हैं। इच्छुक पक्षों को नीलामीकर्ता के साथ स्वयं को पंजीकृत करना होगा।

यदि कोई शुद्धि-पत्र, परिशिष्ट, संशोधन, समय-विस्तार आदि होगा, तो उसे वेबसाइट **www.adanipower.com** पर कमर्शियल टैब के अंतर्गत अद्यतन किया जाएगा। कोई भी शुद्धि-पत्र प्रेस में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

सभी इच्छुक अथवा अर्हताप्राप्त उपयोगकर्ताओं को ई-नीलामी की तिथि की सूचना ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015,
ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस परिशिष्ट IV-A (नियम 8(6) का परंतुक देखें)

संपर्क सं. आरएलएम - ब्रजेश अवस्थी 9918301885, आरआरएम - हरीश यादव 70604 11785, जेडआरएम - राकेश गुप्ता 98739 25255

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस, एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को बंधक / प्रभारित है, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कॉर्या : 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई - 600015 और इसका शाखा कार्यालयः प्रथम तल, ओम पैलेस सिनेमा, 547, भगवान नगर, दिल्ली रोड, हापुड़-245101 को उधारकर्ताओं और गारंटरों से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तारीखों पर **''जैसा है जहां है'', ''जैसा है वह क्या है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **www.bankeauctions.com/** पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 21.10.2026 को अपरा. 17.00 बजे | ई-नीलामी की तिथि : 22.10.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 13:00 बजे तक | बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/-

	ऋण खाता नं. और कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम/	धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस की तिथि और राशि / तिथि तक कुल बकाया राशि	भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी)
1	DL/MNR/MNGR/A000000503. 1. श्री राजीव राजीव (उधारकर्ता) 2. श्रीमती नाज़ीम नाज़ीम(सह-उधारकर्ता)	11.12.2025 और रु. 12,92,158/- दि. 11.12.2025 तक / रु. 12,92,158/- दि. 11.12.2025 तक	27.07.2026	आरपी रु. 26,07,000/- / ईएमडी रु. 2,60,700/-
	अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरणः फ्रीहोल्ड आवासीय भवन मकान क्षेत्रफल 201.13 वर्ग गज अर्थात 168.22 वर्ग मीटर खसरा नं. 1000 के भाग पर स्थित, ग्राम बरौदा सिहानी, परगना हापुड़, तहसील धौलाना एवं जिला हापुड़, उ.प्र. में स्थित सीमाएं: पूर्व: 18 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः ताज मोहम्मद का मकान, उत्तरः 23 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः ताज मोहम्मद का मकान			
2	DL/MNR/MNGR/A000000466. 1. श्री विपिन शर्मा (उधारकर्ता) 2. श्री राजकुमार शर्मा (सह-उधारकर्ता)	21.10.2025 और रु. 15,28,526/- दि. 17.10.2025 तक / रु. 15,28,526/- दि. 17.10.2025 तक	20.06.2026	आरपी रु. 20,44,000/- / ईएमडी रु. 2,04,400/-
	अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरणः फ्रीहोल्ड आवासीय भवन क्षेत्रफल 81.25 वर्ग गज अर्थात 67.95 वर्ग मीटर, प्लॉट नं. ए-63 के भाग पर निर्मित, जो खसरा नं. 2079 मि., 2085 मि., 2086 मि., 2087 मि., 2088 मि. एवं 2091 मि. से संबंधित है, मोहल्ला न्यू सुभाष नगर परगना, तहसील एवं जिला हापुड़ में स्थित। सीमाएं: पूर्वः खाली प्लॉट, पश्चिमः खाली प्लॉट, उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः प्रवेश/20 फीट चौड़ी गली			

भुगतान का तरीका:- भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा किया जाएगा।

विशेष निर्देश/सावधानीः अंतिम मिनट/सेकंड में बोली लगाने वालों को अपने हित में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली की विफलता, आदि) के लिए न तो हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक-अप बिजली की आपूर्ति और जो कुछ भी आवश्यक हो, ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें - 1. संपत्ति को **"जैसा है जहाँ है", "जैसा है जो है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी दायित्व रहित"** के आधार पर बेचा जा रहा है। इस तरह की बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है। 2. संपत्ति / परिसंपत्तियों का विवरण (अर्थात ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप को सुरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है और सुरक्षित लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत-बयान या चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक मौजूदा और मापन अलग-अलग हो सकते हैं। 3. सुरक्षित लेनदार द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियां जमा करने के लिएएक निमंत्रण है और इसे सुरक्षित लेनदार की ओर से कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार के साथ शीर्षक विलेखों की प्रतियों का उपयोग करें और बोलियां प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति / परिसंपत्तियों और दावों / देय राशियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति के बारे में स्वयं की स्वतंत्र पूछताछ / उचित परिश्रम करें जो संपत्ति को प्रभावित करते हैं। 4. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट auction@hindujahousingfinance.com and https://www.bankeauctions.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड" या सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी के माध्यम से होगी, जो नीलामी की पूर्ण प्रक्रिया को ई-नीलामी मंच द्वारा व्यवस्थित और समन्वयित करेगा। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी खुद बोली लगाने वाले को सुनिश्चित करनी होगी। सुरक्षित लेनदार/सेवा प्रदाता को इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। 6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया हेतु तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन बोली लगाने वाले संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्रा. लि., 605ए, पताः सी1 इंडिया प्रा. लि. तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 68 सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा-122003, (सम्पर्क व्यक्ति : मिथलेश, फोन नं. 7080604466 ईमेलः delhi@c1india.com, सहायता मो. नं. 7291981124/1125/1126 से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com/ and auction@hindujahousingfinance.com पर पहले से पंजीकृत कर लेना चाहिए और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तुरंत बाद ही उसे बदल दें। 8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को "हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में Demand Draft/NEFT/RTGS के माध्यम से आरक्षित मूल्य (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) का 10 प्रतिशत की वापसी योग्य बयाना जमा (ईएमडी) जमा करना होगा। 9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म https://www.bankeauctions.com/ and auction@hindujahousingfinance.com पर उपलब्ध प्रारूप), हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एफ8, प्रथम तल, महागुनमॉल मेट्रो टॉवर, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद - 201019 के प्राधिकृत अधिकारी को सीलबंद लिफाफे में ईएमडी प्रेषण के साथ डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। 10. सीलबंद लिफाफे के ऊपर (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) की संपत्ति के लिए ऋण खाता सं. (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली' लिखा जाना चाहिए। ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उसके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं के विवरण की पुष्टि करेगा (जिन्होंने आरक्षित मूल्य के ऊपर और ऊपर अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान सुरक्षित लेनदार) सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ई-नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर केवल उन बोलीदाताओं को ऑनलाइन इंटर-से बोली/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सक्षम बनाता है। 11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली की प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक "10" मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात ई-नीलामी का अंतिम समय स्वचालित रूप से प्रत्येक बार 10 मिनट तक बढ़ाया जाएगा यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर की जाती है। 12. एक बार की गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से की गई सभी बोलियां उसके द्वारा अकेले की गई समझी जाएंगी। 13. ई-नीलामी की कार्यवाही बंद होने के तुरंत बाद, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला, ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता के रूप में घोषित होने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को उनकी मेल आईडी और सेवा प्रदाता दोनों को ई-मेल द्वारा उद्धृत बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करेगा। 14. सफल बोलीदाता को तत्काल अर्थात उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस से पहले, जैसा भी मामला हो, बिक्री मूल्य की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करना होगा, जिसमें जमा की गई बयाना राशि (यदि कोई हो) भी शामिल है, जो बिक्री का संचालन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी। देय क्रय मूल्य की शेष राशि अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले देनी होगी। 15. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि के भुगतान में चूक के मामले में, बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) को जब्त कर लिया जाएगा और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि की शेष राशि जमा करने के लिए लिखित रूप में और समय दे सकता है। 17. सफल बोलीदाता को लागू टीडीएस (बिक्री आय में से) का भुगतान करना होगा तथा प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। 18. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली देय (यदि कोई हो) और किसी अन्य प्राधिकरण देय राशि (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले किया जाना है। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक देय राशि को ध्यान में रखते हुए बोलियां लगाई जाएंगी। 19. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाण पत्र केवल संपूर्ण खरीद मूल्य / बोली राशि जमा करने और सभी करों / शुल्कों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा। 20. कानूनी शुल्क, स्टाप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और किसी भी प्रकार के अन्य आकस्मिक प्रभार नीलामी खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा। 21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकता है। यदि निर्धारित ई-नीलामी बिक्री को बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 दिन की तिथि के लिए स्थगित किया जाता है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 23. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उनके द्वारा बाध्य होंगे। 24. अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए, कृपया हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शाखा कार्यालय प्रथम तल, ओम पैलेस सिनेमा, 547, भगवान नगर, दिल्ली रोड, हापुड़-245101 के प्राधिकृत अधिकारी रवि कुमार, मो. 9999048581 से संपर्क करें। 26. यह उपर्युक्त ऋण खाते के ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर को 30 (तीस) दिन का नोटिस है, जो कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अनुसरण में उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में है।

स्थान : उत्तर प्रदेश, दिनांक : 12.09.2026 — **प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक

आपकी उम्मीद का खाता
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

अंचल कार्यालय : एस-24/1-2, प्रथम तल, महावीर नगर, ऑर्डरली बाजार, निकट महावीर मन्दिर, वाराणसी-221002
पंजीकृत कार्यालय : उत्कर्ष टॉवर, एनएच-31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमालपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, उ.प्र.-221 105.

मांग सूचना

कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित निम्नलिखित कर्जदार/रों एवं सह-कर्जदारों को एतद्द्वारा मांग का नोटिस दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और ऋण खाते को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उनके द्वारा बैंक को दिए गए अंतिम ज्ञात पते पर उन्हें नोटिस जारी किए जाते हैं, जिसमें उनसे मांग नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज सहित चुकाने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार यह प्रकाशन उत्कर्ष लघु वित्त बैंक को उपलब्ध अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नीचे उल्लिखित कर्जदारों को सेवा और सूचना के प्रयोजनों के लिए इसके अतिरिक्त हैः-

क्र. सं.	खाता का नाम तथा ऋण राशि	कर्जदार/जमानती का नाम (संपत्ति के स्वामी)	एन.पी.ए. तिथि	मांग सूचना की तिथि तथा मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि
1	1354060000006079 रु. 700000/-	अजय कुमार महतो पुत्र जगदीश महतो, सोनी देवी पत्नी अजय महतो	03-08-2026	19.08.2026 रु. 6,49,346.45/-
	सम्पत्ति का विवरणः मकान नंबर सी-189/49, मोहल्ला खुर्रमपुर, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर, पिनकोड-273001, एरिया-21.468 वर्ग मीटर / 231 वर्ग फुट। सीमाएंः पूर्वः 6 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः जगदीश का घर, दक्षिणः रामवृक्ष का घर, उत्तरः 3 फीट चौड़ी सड़क।			
2	1352060000002624 रु. 3600000/-	शेख मोहम्मद	03-08-2026	07.08.2026 रु. 24,27,539.13/-
	सम्पत्ति का विवरणः मौजा-94 मि. छिवाकी (शेष भाग नैनी), परगना-अराइल, तहसील-करछना, जिला-प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, पिनकोड-211008, एरिया-186.48 वर्ग मीटर। सीमाएंः पूर्वः आराजी नंबर 106, पश्चिमः 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः विक्रेता की बची हुई जमीन, उत्तरः विक्रेता की बची हुई जमीन।			
3	1362050000006024 रु. 1500000/- 1362050000006067 रु. 1400000/-	शुभम गुप्ता राम भरोस (मृतक के बाद से) कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से अर्थात शुभम गुप्ता पुत्र-स्वर्गीय राम भरोस संदीप गुप्ता पुत्र-स्वर्गीय राम भरोस विशाल गुप्ता पुत्र-स्वर्गीय राम भरोस राहुल गुप्ता पुत्र-स्वर्गीय राम भरोस	03-08-2026	11.08.2026 रु. 13,67,065.24 /- रु. 13,65,888.74/-
	सम्पत्ति का विवरणः आराजी नंबर 275, मौजा-नदावर टप्पा-सलेमपुर, परगना-सलेमपुर-मझौली, तहसील और जिला-देवरिया, उ.प्र.-274509, एरिया-121.38 वर्ग मीटर। सीमाएंः पूर्वः शंभू नाथ यादव की जमीन, पश्चिमः कच्चा रास्ता (9 मीटर से कम चौड़ा), दक्षिणः सुमन देवी की जमीन, उत्तरः आशा यादव की जमीन।			
4	1526060000006058 रु. 745000/- 1526060000006121 रु. 600000/-	बाबू सैना	04-07-2026	14.07.2026 रु. 755651.99/- रु. 633802/-
	सम्पत्ति का विवरणः रिहायशी मकान (एरिया 80.70 वर्ग मीटर), नगर पालिका नंबर 26/1, मोहल्ला करीम नगर और तहसील सिकंदरा में स्थित। जिला हाथरस, 204215 सीमाएँः पूर्वः 7 फीट चौड़ी गली (इस तरफ 21 फीट), पश्चिमः मुस्लिम मियां का घर (इस तरफ 21 फीट), उत्तरः पेंटर की संपत्ति (इस तरफ 41 फीट), दक्षिणः नासिर (अब्बू) का घर (इस तरफ 41 फीट 8 इंच)			
5	1507060000006082 रु. 5000000/-	शाकिर हुसैन, परवीन जहां	04-07-2026	14.07.2026 रु. 50,30,076/-
	संपत्ति का विवरण (संपत्ति का पूरा हिस्सा): कमर्शियल प्लॉट नंबर बीपी-बी-3, एरिया 57.63 वर्ग मीटर, एकता विहार दक्षिणी योजना, तहसील और जिला मुरादाबाद, उ.प्र.-244902। सीमाएँः पूर्वः एमआईजी प्लॉट, पश्चिमः 9.00 मीटर चौड़ी सड़क, उत्तरः कमर्शियल प्लॉट नंबर-2, दक्षिणः कमर्शियल प्लॉट नंबर-4			
6	1516060000006180 रु. 6,50,000/-	उम्मेद, प्रीति	04-07-2026	14 07 2026 रु. 6,88,924.95/-
	संपत्ति का विवरण (संपत्ति का पूरा हिस्सा): खसरा नंबर 242 पर स्थित आवासीय प्लॉट का पूरा हिस्सा। स्थानः सरवन नगर, मौजा सेवला जाट, तहसील और जिला आगरा, उत्तर प्रदेश 282001। एरिया 54.71 वर्ग मीटर। सीमाएँः पूर्वः हरगोविंद की संपत्ति, पश्चिमः 6 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः मोहन सिंह की संपत्ति, दक्षिणः भीकम की संपत्ति।			
7	711363060000006326 रु. 25,00,000/-	रामसूरत मौर्य, रुक्मिणी देवी	03-07-2026	15.06.2026 रु. 25,41,030.34/-
	संपत्ति का विवरण (संपत्ति का पूरा हिस्सा): प्लॉट नंबर 338/0.154 का पूरा हिस्सा (जिसमें से एरिया 118.74 वर्ग मीटर है)। गाँव दिलावरपुर, कृषिक परगना और तहसील मरियाहू, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश 222161। सीमाएँः पूर्वः अमर नाथ पटेल और अन्य का घर, पश्चिमः रामसूरत, दिनेश और मुन्नी का घर, उत्तरः संजीव की जमीन, दक्षिणः 15 फीट चौड़ी सड़क।			
8	1518060000006246 रु. 25,00,000/-	बिलाल सायरा फारूक	04-07-2026	14.07.2026 रु. 6,76,408.81/-
	संपत्ति का विवरण (संपत्ति का पूरा हिस्सा): नगर पंचायत डिमांड रजिस्टर नंबर 528 में दर्ज दुकान का पूरा हिस्सा, माप 16.11 वर्ग मीटर। 'फोड्र्स' या 13.47 वर्ग मीटर जमीन, जो मुख्य बाजार, बान मंडी कस्बा परीक्षितगढ़, परगना किठौर, तहसील मवाना, ज़िला मेरठ, उ.प्र.-250406 में स्थित है। सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः मो. फारुख का घर (107), पश्चिमः 25 फीट चौड़ी सड़क, उत्तरः मो. फारुख का घर (14.5), दक्षिणः इरशाद पुत्र निसार की दुकान (14.5)।			
9	1507060000006111 रु. 1150000/-	नितिन दयाराम कुमार, प्रजापति भूरी	03-08-2026	रु. 11,50,714.60/-
	संपत्ति का विवरण (संपत्ति का पूरा हिस्सा): मौजा प्लॉट नंबर 32-ए, खसरा नंबर 530, गाँव शाहपुर टिगरी, परगना और ज़िला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244001 का पूरा हिस्सा। क्षेत्रफल - 84 वर्ग मीटर और 904 वर्ग फीट। सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः दूसरे का घर (27.5 फीट), पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क (27.5 फीट), दक्षिणः विमल का घर (32.8 फीट), उत्तरः 10 फीट चौड़ी सड़क (32.8 फीट)।			
10	1011375050000000129 रु. 1150000/-	विनय कुमार सिंह, अनामिका देवी	03-08-2026	24 08 2026 रु. 10,41,899.77/-
	संपत्ति का विवरण (संपत्ति का पूरा हिस्सा): प्लॉट नंबर 799, मौजा तराना, परगना - शिवपुर, तहसील और ज़िला वाराणसी, पिनकोड - 221003 का पूरा हिस्सा। क्षेत्रफल - 130.11 वर्ग मीटर / 1406 वर्ग फीट। सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्वः नवीन मिश्रा और प्रमोद मिश्रा की जमीन, पश्चिमः 15 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, दक्षिणः राजेंद्र मिश्रा की जमीन, उत्तरः नवीन मिश्रा और प्रमोद मिश्रा की जमीन।			

उपरोक्त कर्जदारों और/या उनके गारंटरों (यथाप्रयोज्य) को परामर्श दिया जाता है कि वे धारा 13(2) के तहत सूचना निर्गत होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर बकाया का भुगतान करें, जिसमें विफल होने पर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार धारा 13(2) के तहत सूचना निर्गत करने की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तिथिः 10/09/2026
स्थान : उत्तर प्रदेश

हस्ता./-
(अधिकृत प्राधिकारी)
उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक

प्रपत्र नं. 14
[विनियम -33(2) देखें]
वसूली अधिकारी कार्यालय-I/II
ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी-I)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
डिमांड नोटिस

ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 25 से 28 और आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस।

RC/222/2026 — **23-07-2026**

केनरा बैंक
बनाम
गौरव शर्मा

सेवा में,

(सी.डी. 1) गौरव शर्मा पुत्र विनोद शर्मा, मैसर्स श्री बांके बिहारी मेटल्स के एकमात्र स्वामी, ए-71, खसरा नं. 20, मुख्य शनि बाजार रोड, शिव मंदिर के पास, जौहरीपुर गाँव, दिल्ली-110094। **इसके अलावाः** फ्लैट नं. बी-1, एसएफ/2, टॉप फ्लोर, शताब्दी अपार्टमेंट, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली-110095।

यह सूचित किया जाता है कि **ऋण वसूली न्यायाधिकरण दिल्ली (DRT 1)** के पीठासीन अधिकारी द्वारा **TA/384/2023** में पारित आदेशों के अनुसरण में जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, **रुपये 41,98,171 (इकतालीस लाख अट्ठानवे हजार एक सौ इकहत्तर रुपये मात्र)** की राशि, **08/05/2019** से वसूली होने तक **@18%** मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लंबित और भावी (भविष्य के) ब्याज तथा **रुपये 44000 (केवल चौवालीस हजार रुपये)** का खर्च आपके विरुद्ध (संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से/पूर्ण/सीमित) देय हो गया है।

2. इस नोटिस के माध्यम से आपको नोटिस प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 और उसके अधीन नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूली की जाएगी।
3. आपको सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले एक हलफनामे पर अपनी संपत्ति का विवरण घोषित करने का आदेश दिया जाता है।
4. आपको आदेश दिया जाता है कि दिनांक **14.09.2026 को प्रातः 10:30 बजे** अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगे की कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।
5. उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, आप भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगेः
(क) इस तरह के ब्याज के रूप में प्रमाण पत्र / निष्पादन कार्यवाही की इस सूचना के तुरंत बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए देय है।
(ख) इस नोटिस और वारंट और अन्य प्रक्रियाओं और देय राशि की वसूली के लिए की गई अन्य सभी प्रक्रियाओं की तामील के संबंध में किए गए सभी लागत, शुल्क और व्यय।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत दिनांक 23.07.2026 को दिया गया।

हस्ता/-
रविंद्र कुमार तोमर
वसूली अधिकारी-I
ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली (डीआरटी-I)